(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन

अधिसूचना सं. 75/2023
नई दिल्ली, दिनांकः 14 मार्च, 2024

विषयः शहद के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाना।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2023 की अनुसूची 2 के आईटीसी एचएस कोड 0409 00 00 के तहत प्राकृतिक शहद के निर्यात पर निम्नानुसार न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) लगाती हैः–

प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
0409 00 00	प्राकृतिक शहद	मुक्त	"31 दिसंबर, 2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 2000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के अध्यधीन।"

2. अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 के तहत परिवर्ती व्यवस्थाएं लागू होंगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

प्राकृतिक शहद का निर्यात 'मुक्त' है। "2000 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 31 दिसंबर, 2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, लगाया जाता है।"

संतोष कुमार सारंगी
14.3.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : **dgft@nic.in**

(फा.सं. एम–01/91/180/879/एएम–08/ईसी/खण्ड–8/पार्ट फाइल/ई–38272 से जारी)